हरियाणा गौ-सेवा आयोग

वर्ष 2010 का अधिनियम, 19

डी0एच0एल0, प्लॉट न0 9, प्रथम तल, सैक्टर-22, आई0 टी0 पार्क, पंचकुला
पिन कोड-134112, फोन न0-0172-2992817
E-mail address: - hgsapkl@gmail.com, gauseva.aayog-hry@gov.in
Website:- www.hargauseva.gov.in

सेवा में

सभी जिला उपनिदेशक-कम-गौवंश विकास अधिकारी
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा राज्य।

यादि क्रमांक न0 जी.एस.ए/23/983-1004 दिनांक: 07/11/23

विषयः- हरियाणा राज्य में चल रहे गौ कल्याण केन्द (गौशालाओं/नंदीशालाओं) का हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकरण/सूचीबद्ध करने हेतू जरूरी शर्ते व आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करने बारे।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध सहित लिखा जाता है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग की इक्कीसवी बैठक दिनांक 27.10.2023 माननीय अध्यक्ष हरियाणा गौ सेवा आयोग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कार्यसूची न0 3 पर हरियाणा राज्य में चल रहे गौ कल्याण केन्द (गौशालाओं/नंदीशालाओं) का हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकरण/सूचीबद्ध करने हेतू जरूरी शर्ते व आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करने का ऐजेंडा पारित किया गया जिसकी कार्यवाही रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को भेज दी गई है। अतः कार्यवाही रिपोर्ट अनुमोदन उपरान्त भविष्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा गौ कल्याण केन्द्र (गौशाला/नन्दीशाला) का पंजीकरण/सूचीबद्ध (जिस तरह का मामला हो) किया जायेगा। इसके लिए जरूरी शर्ते व आवश्यक दस्तावेज आपको आगामी कार्यवाही हेतु भेजे जा रहें है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में गौ कल्याण केन्द्र (गौशाला/नन्दीशाला) को हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकरण/सूचीबद्ध (जिस तरह का मामला हो) करने हेतु प्रस्ताव इसी अनुसार ही भेजें।

सह/उपरोक्त

सचिव,
हरियाणा गौ-सेवा आयोग
पंचकूला।

पृष्ठाकंन क्रमांक न0 जी.एस.ए/23/1005 दिनांक : 07/11/23

उपरोक्त की एक प्रति महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, पंचकुला को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

सचिव,
हरियाणा गौ-सेवा आयोग
पंचकूला।

हरियाणा राज्य में चल रहे गौ कल्याण केन्द्र (गौशालाओं/नंदीशालाओं) का हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकरण/सूचीबद्ध करने हेतू जरूरी शर्ते व आवश्यक दस्तावेज।

गौ कल्याण केन्द्र के पंजीकरण हेतू आवश्यक दस्तावेज व शर्तेः— यदि कोई गौ कल्याण केन्द्र हरियाणा गौ सेवा आयोग में अपना पंजीकरण करवाना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान में वह गौ कल्याण केन्द्र कार्य कर रहा हो तथा उसमें कम से कम 100 व्यस्क (अनुउपयोगी) गौवंश हों। इसके लिए गौ कल्याण केन्द्र का पहले से ही रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत अथवा ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकरण करवाने हेतू गौ कल्याण केन्द्र को निर्धारित फीस व आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग—कम—जिला गौवंश विकास अधिकारी को देना होगा । संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग—कम—जिला गौवंश विकास अधिकारी इस आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र को सत्यापित करके अपनी सिफारिश सहित सचिव, हरियाणा गौ सेवा आयोग को भेजेंगे। संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग—कम—जिला गौवंश विकास अधिकारी की सिफारिश व रिपोर्ट उपरान्त योग्य गौ कल्याण केन्द्र का पंजीकरण हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। पंजीकरण हेतु 1100/—रू. की फीस निर्धारित की गई है । मूल्यांकन प्रपत्र को समय—समय पर हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। गौ—कल्याण केन्द्र के पंजीकरण हेतू आवश्यक दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार हैः—

1. आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र।
2. रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज से पंजीकरण की छाया प्रति या अगर ट्रस्ट है तो उसकी छाया प्रति तथा गौशाला समिति के संविधान की प्रति।
3. भूमि का प्रमाण कितनी है, नकल जमाबंदी व नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/पंचायत या अन्य द्वारा गौशाला को दी गई भूमि के प्रस्ताव की प्रति।
4. यदि भूमि लीज पर है, तो लीज अवधि कम से कम 10 वर्ष की हो तथा आवेदन करने के समय लीज डीड की अवधि कम से कम 7 वर्ष बची हो। लीज डीड नियमानुसार होनी चाहिए। लीज डीड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न हो।
5. 1100/—रू. का बैंक डीमाण्ड ड्राफ्ट सचिव हरियाणा गौ सेवा आयोग के नाम।
6. गौशाला प्रबन्धन समिति की सूची, पता व मोबाईल नं0।
7. गौशाला के बैंक खाते की चेक बुक की फोटो प्रति, जिसमें बैंक खाता न0 तथा आई0एफ0एस0सी0 को कोड हो।

गौ कल्याण केन्द्र के सूचीबद्ध हेतू आवश्यक दस्तावेज व शर्तेः— ऐसे गौ कल्याण केन्द्र जो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में तत्कालीन बेसहारा गौवंश को पुर्नवास करने हेतू किसी सरकारी या अन्य जमीन पर बनाये गये हैं तथा वर्तमान में भी ऐसे गौ कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इनमें कम से कम 50 व्यस्क (अनुउपयोगी) गौवंश का भरण पोषण हो रहा है, परन्तु जमीन का

प्रमाण दस्तावेज ना होने के कारण पंजीकरण करवाने में असमर्थ हैं, ऐसे गौ कल्याण केन्द्र को हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी तथा संबंधित जिला प्रभारी सदस्य, हरियाणा गौ सेवा आयोग की सिफारिश व रिपोर्ट उपरान्त सूचीबद्ध किया जायेगा।

अथवा

ऐसे गौ कल्याण केन्द्र जिनके पास अपनी भूमि नहीं है तथा गौ कल्याण केन्द्र किसी लीज लेंड पर चल रही है और इनमें कम से कम 50 व्यस्क (अनुउपयोगी) गौवंश का भरण पोषण हो रहा है, परन्तु 10 वर्ष तक लीज लेंड का प्रमाण/दस्तावेज ना होने के कारण पंजीकरण करवाने में असमर्थ हैं, ऐसे गौ कल्याण केन्द्र को हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी की सिफारिश व रिपोर्ट उपरान्त सूचीबद्ध किया जायेगा।

सूचीबद्ध करने हेतु प्रक्रियाः–

केवल ऐसे योग्य गौ कल्याण केन्द्र को ही सूचीबद्ध किया जायेगाः

(i) जो 15 अक्तुबर 2023 से पहले ही खुल चुके हैं तथा वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ।

(ii) उसमें कम से कम 50 व्यस्क (अनुउपयोगी) गौवंश का भरण पोषण हो रहा हों।

(iii) तथा गौ कल्याण केन्द्र पहले से ही रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत अथवा ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

हरियाणा गौ सेवा आयोग में सूचीबद्ध करवाने हेतू गौ कल्याण केन्द्र को निर्धारित फीस व आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी को देना होगा । संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी इस आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र को सत्यापित करके अपनी सिफारिश सहित सचिव, हरियाणा गौ सेवा आयोग को भेजेंगे। संबंधित जिला उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी की सिफारिश व रिपोर्ट उपरान्त योग्य गौ कल्याण केन्द्र का सूचीबद्ध हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। सूचीबद्ध हेतु 1100/–रू. की फीस निर्धारित की गई है । मूल्यांकन प्रपत्र को समय–समय पर हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। गौ–कल्याण केन्द्र के सूचीबद्ध हेतू आवश्यक दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार हैः–

1. आवेदन/मूल्यांकन प्रपत्र।
2. रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज़ से पंजीकरण की छाया प्रति या अगर ट्रस्ट है तो उसकी छाया प्रति तथा गौशाला समिति के संविधान की प्रति।
3. यदि गौ–कल्याण केन्द्र किसी सरकारी जमीन पर बनाये गये हैं तो संबंधित उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग–कम–जिला गौवंश विकास अधिकारी तथा

संबंधित जिला प्रभारी सदस्य, हरियाणा गौ सेवा आयोग का सिफारिश पत्र होना चाहिए।

4. यदि भूमि लीज पर है, तो आवेदन करने के समय लीज डीड की अवधि कम से कम दो साल तक बची हो। लीज डीड की प्रति आवेदन के साथ संलग्न हो।

5. 1100/-रू. का बैंक डीमाण्ड ड्राफ्ट सचिव हरियाणा गौ सेवा आयोग के नाम।

6. गौशाला प्रबन्धन समिति की सूची, पता व मोबाईल नं0।

7. गौशाला के बैंक खाते की चेक बुक की फोटो प्रति, जिसमें बैंक खाता न0 तथा आई0एफ0एस0सी0 को कोड हो।

Secretary
Haryana Gau Seva Aayog
Panchkula